न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/213/2015

उनवान

1. धन्ना आत्मज लक्ष्मण जाट निवासी अमरपुरा (मदनपुरा) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रंगलाल आत्मज भैरू जाट निवासी निवासी अमरपुरा (मदनपुरा) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्रीमति लाडू पुत्री भैरू जाट निवासी निवासी अमरपुरा (मदनपुरा) तहसील शाहपुरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 8/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमरपुरा (मदनपुरा) पटवार क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी नम्बर 46 रकबा 0.44 है0, आराजी नम्बर 61 रकबा 0.11 है0,आराजी नम्बर 62 रकबा 0.28 है0,आराजी नम्बर 63 रकबा 0.49 है0, आराजी नम्बर 125 रकबा 0.19 है0, आराजी नम्बर 594 रकबा 0.33 है0, आराजी नम्बर 595 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 599/1720 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 707 रकबा 0.42 है0, आराजी नम्बर 710/1682 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 719 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 746 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 893 रकबा 0.33 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.32 है0 भूमि स्थित है। उक्त कृषि आराजियात में से आराजी संख्या 125 रकबा 0.19 है0 की वादीगण रंग लाल व लाडू के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्थरगढी करने का एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या संख्या 73/2014 होकर निर्णय दिनांक 12.5.2014 को पत्थरीगढी करने का आदेश पारित किया गया । जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक ने मय हल्का पटवारी के दिनांक 22.5.2014 को मौके पर जाकर पत्थरगढी कर मौका पर्चा तैयार किया गया। जिसमें आराजी नम्बर 125 रकबा 0.19 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना जाट ने अवैध रूप से नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 125 रकबा 0.19 है0 पर प्रतिवादी धन्ना जाट ने करीब एक वर्ष पूर्व अवैध अतिक्रमण जबरन ताकत के बल पर करते हुए अपने मवेशियों को उक्त आराजी में चरने के लिए छोड दिया तथा प्रतिवादी को मना करने पर लडाई करने पर आमादा हुआ । वादीगण ने प्रतिवादी को दिनांक 24.1.2014 को वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने के लिए कहा तो

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

साफ इंकार हो गये। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण की गई आराजी नम्बर 125 रकबा 0.19 है0 भूमि से कब्जा हटवाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे तथा हर्जाना राशि 10,000/—प्रतिमाह दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 14.9.2015 को पटवार हल्का ने अपीलार्थी को कहा कि आपके विरूद्ध डिक्री हो चुकी है। हम आपके विरूद्ध कार्यवाही करेंगें। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 15.9.2015 को नकलों हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनिांक 17.9.2015 को नकल प्राप्त हुई। नकल देखने से निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक 17.9.2015 से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया । अपीलार्थी को सुनवाई का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपती प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अवसर दिये बगैर पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया । उक्त पत्थरगढी स्थाई मुस्तकिल बिन्दु कायम किये गये की गई है, और उस पत्थरगढी की रिपोर्ट को सही मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यदि पत्थरगढी के समय अपीलार्थी का कब्जा पाया गया तो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था एवं अपीलार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी करनी चाहिये थी।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कैम्प कोर्ट मिण्डोलिया में पारित किया गया है। जबकि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत अपीलार्थी को कोई सूचना पत्र जारी कर उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी। जबकि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिये। अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत पत्थरगढी को प्रदर्शित नहीं कराया गया । पत्थरगढी को प्रदर्शित कराये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है। वह सदभाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 1.1.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.3.2015 नियत की गई। दिनांक 31. 3.2015 को बावजूद तामील होने के प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.6.2015 नियत की गई।

12. उक्त नियत दिनांक को प्रकरण को कैम्प कोर्ट मिण्डोलिया में रखा जाकर पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 22.5. 2014 का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारिज की गई। जबकि पत्थरगढी के प्रकरण में

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थी/प्रतिवादी को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं पत्थरगढी रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। पत्थरगढी की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये। उक्त पत्थरगढी किस स्थाई मुस्तकिल बिन्दु से की गई इस बाबत कोई अंकन उक्त पत्थरगढी रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

13. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पत्थरगढी को वादीगण के बयानों से प्रदर्शित कराई जानी चाहिये थी। जिस पत्थरगढी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है उस पत्थरगढी की रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलार्थी की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई।

14. प्रकरण को कैम्प कोर्ट मिण्डोलिया में नियत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की कैम्प कोर्ट मे उपंस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई बाद तामील सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2013 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण में उभयाक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.04.2020 को पेश हो।

16. निर्णय आज दिनांक 4.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा